-र व तारीख
काम जो इस
की तामील
री हुए

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)
राजस्व लोक अदालत मुकाम बेंरा तहसील बनेड़ा
पीठासीन अधिकारी – श्री रतनलाल रेगर
(आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 15/2017

अनवान

1 रामगोपाल पिता गणपतलाल शर्मा (ब्राहमण) उम्र वयस्क निवासी सरेरी तहसील हुरडा जिला–भीलवाडा

.......वादी

बनाम

1 जगदीश पिता काना दरोगा उम्र वयस्क निवासी बेंरा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा

2 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बनेडा जिला भीलवाडा

.... प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :::– श्री रामगोपाल शर्मा .... वादी मय अधिवक्ता
विपक्षी संख्या 02.................. पैरोकार सरकार

–:: निर्णय ::–

राजस्व लोक अदालत केम्प कोर्ट बेंरा

दिनांक 15.06.2018

1. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने दिनांक 05.06.2017 को एक वाद विरूद्ध प्रतिवादी के इस आशय का प्रस्तुत किया कि वाके ग्राम बेंरा पटवार हल्का बेंरा में वादी के नाम पर खतौनी संख्या 690 के आराजी संख्या 1213, 1214, 1215 कुल किता 03 कुल रकबा 05–17 बीघा भूमि एकल खातेदारी हक से दर्ज रेकार्ड है। जिसकी वादी द्वारा उपखण्ड अधिकारी से विधिक आदेश दिनांक 12.03.2016 लेकर दिनांक 28.04.2017 को भू अभिलेख निरीक्षक बेंरा से पत्थरगढ़ी कराई गई तथा उक्त्त पत्थरगढ़ी में पाया गया कि प्रतिवादी संख्या 01 का वादी की आराजीयात संख्या 1215 रकबा 01–10 बीघा भूमि की दक्षिणी मेड पर 60 गट्टा गुणा 03 गट्ठा यानि 180 वर्गगज करीब 00–09 बिस्वा भूमि पर अनाधिकृत कब्जा किया हुआ है। जो वादी के खातेदारी अधिकार की है, पर कब्जा प्रतिवादी संख्या 01 जगदीश पिता काना दरोगा का होना पाया गया। अतः वादी को उसकी क्षर्तिपूर्ति प्रदान करावें तथा प्रतिवादी को वादी की खातेदारी आराजीयात से बेदखल करा वादी को कब्जा पुनः सिपुर्द कराये जाने आशय की डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी सादर फरवायी जावे।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर जरिये सम्मन/नोटीस विपक्षीगणो को तलब किया गया। विपक्षी संख्या 01 की और से अधिवक्ता श्री गोपाल मुन्दडा द्वारा सुनवाई दिनांक 06.03.2018 को वकालतनामा प्रस्तुत कर जवाबदावा प्रस्तुतिकरण हेतु न्यायालय से समय चाहा। इसके पश्चात सुनवाई दिनांक 03.04.2018 को विपक्षी स्वंय एंव उनके द्वारा नियुक्त अधिवक्ता को जवाबदावा प्रस्तुतिकरण हेतु विधिवत तीन मर्तबा आवाजे लगाये जाने के उपरान्त भी वाद में पैरवी अथवा अपना पक्ष रखने हेतु कोई हाजिर नही आया, लिहाजा विरूद्ध विपक्षी संख्या 01 के एकतरफा कार्यवाही के आदेश सनुवाई दिनांक 03.04.2018 को पारित किये गये, तथा पत्रावली को एकतरफा साक्ष्यवादी चरण हेतु नियत किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बनेड़ा (भीलवाडा)

इसी दौरान प्रकरण को राजस्व लोक अदालत अभियान 2018 शिविर मुकाम बेंरा के लिए पंजीबद्ध किया गया। उभयपक्षो को समजाईश के लिए सुचनापत्र जारी किये गये। नियत शिविर पर उपस्थित वादी की और से वादी की शहादत्त में शपथपत्र प्रस्तुत होकर रिकार्ड पर लिये गये, जिन पर लाल स्याही से पी.डब्ल्यू–01 का अंकन किया गया, तथा वादपत्र से सलग्न दस्तावेजात व प्रस्तुत आधार राजस्व अभिलेख व पत्थरगढी मौका पर्चा पर क्रमशः प्रदर्श–01 से प्रदर्श–03 का लाल स्याही से अंकन किया गया। केम्प कोर्ट में वादी अधिवक्ता ने उपस्थित होकर वादपत्र में अपनी और से एकपक्षीय बहस प्रस्तुत की, बहस के दौरान उनके द्वारा इस बाबत् पर अपनी सहमति व्यक्त की कि विवादित आराजीयात की निष्पक्ष राजस्व अधिकारी से नपती कराई जाने पर वादी की भूमि पर यदि प्रतिवादी का कोई अनाधिकृत कब्जा होना पाया जाता है, तो उस दशा में वादी पुनः कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है।

3. वादी अधिवक्ता को सुना गया। चूंकि प्रतिवादी का वादपत्र में जवाबदावा प्रस्तुतिकरण इस न्यायालय द्वारा बन्द किया जा चुका है। वादी द्वारा निष्पक्ष अधिकारी/ टीम से आराजीयात की नपती कराई जाने की स्थिति में वादी के हक एंव खाते की भूमि पर यदि किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण होना पाया गया तो उस भू भाग से अपना अतिक्रमण हटा कर वादी को कब्जा सिपुर्द किये जाने पर सहमति व्यक्त की है। इस प्रकार वादी वादपत्र विरूद्ध प्रतिवादी डिक्री किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः वादी का वाद अन्तर्गत धारा 183, राज. काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 01 स्वीकार कर इस प्रकार फैसल किया जाता है कि वाके ग्राम बेंरा पटवार हल्का बेंरा में वादी के नाम पर खतौनी संख्या 690 के आराजी संख्या 1215 रकबा 01–10 बीघा भूमि को मौके पर पुख्ता सीमा चिन्हों से नपती की जावें तथा नपती उपरान्त यदि वादी के हक एवं हिस्से की भूमि पर प्रतिवादी का कोई अनाधिकृत अतिक्रमण पाया जावें तो उक्त अतिक्रमित भूमि का कब्जा प्रतिवादी से वादी को सिपुर्द किया जावें तथा वादी के खातेदारी हक एवं हिस्स्से के भू भाग पर प्रतिवादी बेजादखंदाजी एवं हस्तक्षेप नहीं करें। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करें। आदेश की पालनार्थ तहसीलदार बनेडा को कमीश्नर नियुक्त किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि मौके पर नपती के सम्बंध में पक्षकारान को न्युनतम 3 दिन पूर्व सूचित कर पुख्ता सीमा चिन्हों से नपती की जावें। यदि वादी के हक एवं हिस्से की भूमि का प्रतिवादी संख्या–1 का कोई अनाधिकृत कब्जा पाया जावें तो उक्त भू भाग से प्रतिवादी को बैदखल किया जाकर मौके पर कब्जा वादी को सिपुर्द किया जावें। उक्तानुसार डिक्री पर्चा तरतीब किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय दिनांक 15.06.2018 को राजस्व लोक अदालत अभियान 2018 केम्प मुकाम बेंरा में खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रतनलाल रेगर)
उपखण्ड
अधिकारी, बनेडा
जिला भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
बनेड़ा (भीलवाड़ा)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)
राजस्व लोक अदालत मुकाम बेंरा तहसील बनेड़ा
–::मूल वाद में अन्तिम डिक्री::–

(आदेश 20 व नियम 06 एवं 07 जा. दी.)

पीठासीन अधिकारी श्री रतनलाल रेगर आर ए एस

प्रकरण संख्या 15/2017 राजस्व वाद

अनवान

1 रामगोपाल पिता गणपतलाल शर्मा (ब्राहमण) उम्र वयस्क निवासी सरेरी तहसील हुरडा जिला–भीलवाडा

.......वादी

बनाम

1 जगदीश पिता काना दरोगा उम्र वयस्क निवासी बेंरा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा

2 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बनेडा जिला भीलवाडा

.... प्रतिवादी

वादपत्र अन्तर्गत 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :::– श्री रामगोपाल शर्मा .... वादी मय अधिवक्ता
विपक्षी संख्या 02................. पैरोकार सरकार

दिनांक 15.06.2018

वादी का वाद अन्तर्गत धारा 183, राज. काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 01 इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि वाके ग्राम बेंरा पटवार हल्का बेंरा में वादी के नाम पर खतौनी संख्या 690 के आराजी संख्या 1215 रकबा 01–10 बीघा भूमि को मौके पर पुख्ता सीमा चिन्हों से नपती की जावें तथा नपती उपरान्त यदि वादी के हक एवं हिस्से की भूमि पर प्रतिवादी का कोई अनाधिकृत अतिक्रमण पाया जावें तो उक्त अतिक्रमित भूमि का कब्जा प्रतिवादी से वादी को सिपुर्द किया जावें तथा वादी के खातेदारी हक एवं हिस्से के भू भाग पर प्रतिवादी बेजादखंदाजी एवं हस्तक्षेप नहीं करें। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करें। आदेश की पालनार्थ तहसीलदार बनेडा को कमीश्नर नियुक्त किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि मौके पर नपती के सम्बंध में पक्षकारान को न्युनतम 3 दिन पूर्व सूचित कर पुख्ता सीमा चिन्हों से नपती की जावें। यदि वादी के हक एवं हिस्से की भूमि का प्रतिवादी संख्या–1 का कोई अनाधिकृत कब्जा पाया जावें तो उक्त भू भाग से प्रतिवादी को बेदखल किया जाकर मौके पर कब्जा वादी को सिपुर्द किया जावें।

(रतनलाल रेगर)
उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा
जिला भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
बनेड़ा (भीलवाड़ा)

यह डिक्री आज दिनांक 15.06.2018 को राजस्व लोक अदालत अभियान 2018 शिविर मुकाम बेंरा में मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर से जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी, बनेडा

उपखण्ड अधिकारी
बनेड़ा (भीलवाड़ा)